न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव (आर.ए.एस)

दावा संख्या 98/2016

रवि बनाम रामा

आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

आदेश

दिनांक –

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का पेश किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण द्वारा उपरोक्त सम्बन्धी एक दावा दिनांक 11.11.16 को प्रस्तुत किया गया था। जिसमें प्रवादिया संख्या 1 रामादेवी पत्नी पूर्णमल जाति ब्राहम्ण निवासी कूदन को पक्षकार संयोजित किया गया है। उक्त प्रतिवादीया संख्या 1 रामादेवी की मृत्यु दिनांक 29.3.2007 को हो चुकी है। मृत व्यक्ति के विरूद्व दावा नहीं चल सकता है । वादीगण द्वारा दावा में प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 25.10.16 को अपने पक्ष में विक्रय पत्र करवाये जाने का आश्वासनदिये जाने का तथ्य गलत एवं निराधार बताकर गलत रूप से वाद कारण तैयार कर दावा पेश किया गया है तो खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा दावा एवं टी. आई आवेदन मृत व्यक्ति के विरूद्व पेश किया गया जो बिना आधार के मनगढत तथ्यों ाको अंकित कर पेश किया गया है जो खारिज फरमाये जावे।

जवाबदाता वादीगण ने अपने जवाब में अंकित किया कि वादी के पिता पिछले कई वर्षों से खाने कमाने के लिये बाहर रहते हैं तथा वादीगण भी बाहर जाते रहते है परन्तु समय समय पर आते रहते हैं। वादीगण इस तथ्य से विल्कुल अनभिज्ञ है कि प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु दिनांक 29.3.07 को हो चुकी है क्योंकि वह पिछले कई वर्षों से कलकत्ता में मय परिवार आवास निवास कर रही है । प्रति. संख्या 1 परिवार में कोई शादी समारोह में भी कभी नहीं आई इसलिये वादीगण को इस बात की सूचना ही नही लगी कि प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु हो चूकी है। इसलिये उसका नाम सहवन से जानकारी के अभाव में दर्ज हो गया जो लाल स्याही से हज्फ किया जावे क्योंकि दावे में प्रतिवादी सं0 1 के अलावा अन्य पक्षकार संयोजित है जिनके विरूद्व दावा चलने योग्य है । आवेदन में जो तथ्य बताये गये है वे गलत है उनमें किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं है। अतः आवेदन खारिज फरमाया जावे। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई जो मुताबिक आवेदन एवं जवाब आवेदन रही। बहस के दौरान आवेदनकर्ता के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि दावा में वादी द्वारा यह तथ्य भीं गलत अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 3.11.16 को जबरन उसके खेत में घुस गई। बहस पर मनन किया गया तथा आवेदन, जवाब

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

आवेदन एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । वादीगण द्वारा खसरा नम्बर 674 रकबा 4.06 है0 वाके ग्राम कूदन का वादा उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 15.11.2016 को प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार उसकी मृत्यु दिनांक 29.3.2007 को होना प्रमाणित है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वाद मृत व्यक्ति के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है। वादपत्र के पैरा सं. 4 में वादीगण ने कथन किया है कि पूर्णमल की मृत्यु के पश्चाता उसके पुत्रों जगदीश, जवाहर व उसकी पत्नी रामादेवी को उक्त भूमि की रजिस्ट्री करवाने के लिये कहा तो उन्होने कहा कि नामान्तरकरण हमारे नाम नहीं खुला है जिसके कारण हम रजिस्ट्री नहीं करवा सकते हैं। इसी तरह पैरा संख्या 7 में भी अंकित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 भू माफिया से मिलकर वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। वाद के पैरा संख्या 8 में यह तथ्य अंकित किया है कि दिनांक 3.11.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 अपने साथ भू माफिया गिरोह के व्यक्तियों को लेकर वादीगण की प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 674 में जबरन घुस गई तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने जबरन बेदखल करने की धमकी दी। इसलिये वाद कारण पैदा हुआ। इस प्रकार वाद पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण ने वाद प्रतिवादी संख्या 1 जिसकि दिनांक 23.9.2007 को मृत्यु हो चुकी है के विरुद्व प्रस्तुत किया है साथ ही वादीगण ने अपने वाद में शेष प्रतिवादीगण द्वारा बेदखल करने या भू– माफिया गिरोह के साथ मिलकर बेचान करने बाबत कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है । केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा ही उक्त कृत्य किया जाना अंकित किया है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वाद मृत व्यक्ति के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है साथ ही वाद कारण भी उक्त मृत व्यक्ति के द्वारा ही कारित किया जाना अंकित किया है जो बिल्कुल असंभव है। इस प्रकार वादीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आये है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में वर्णित तथ्य प्रमाणित हैं तथा उक्त दावा विधि द्वारा वर्जित प्रावधानों की श्रेणी में आता है।

अतः आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर वाद वादी भूमि खसरा नम्बर 674 रकबा 4.06 है0 वाके ग्राम कूदन तहसील धोद जिला सीकर का विधि वर्जित होने के कारण खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो।

(राजपाल यादव)
सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर